

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र
बिहार अग्निरामन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-02 की उपधारा-(उ) के अधीन
बिहार अग्निरामन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत
निदेशक, राज्य अग्निरामन सेवा, बिहार, पटना का कार्यालय।

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निरामन सेवा,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अंजनी कुमार सिन्हा,
निदेशक-M/s Rounak Homes Pvt. Ltd.,
गोविन्दपुर, दरभंगा।

संदर्भ :- क्रमिक... 1057.0, दिनांक... 16/06/2023

आवेदनकर्ता गुरुजिद, अभिनव कुमार (विशेष आई.टी.ओ. AR-15/2015-16)
भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत।

विषय :-
महाराष्ट्र,

राज्य अग्निरामन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण सर्वोप (FSPW) की
संरुद्धि के उपरान्त न उक्त संरुद्धि में शामिल विशेषज्ञों की अनुमति के अभाव में भवन निर्माणकर्ता अंजनी
कुमार सिन्हा के द्वारा प्रस्तावित भवन/संरुद्धि का निर्माण हेतु बिहार अग्निरामन सेवा नियमावली, 2021 के नियम
15(च)(iii) के अन्तर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम M/s Rounak Homes Pvt. Ltd.,
निदेशक-अंजनी कुमार सिन्हा, प्लॉट-रंग0 देवेन्द्र मोहन प्रसाद, प्लॉट नं0-1354, रंगता नं0-151, थाना
नं0-490, मौजा-गोविन्दपुर, जिला-दरभंगा, अभिलेख व्यावसायिक, उप क्षेत्र व्यावसायिक, भवन की लंबाई
14.95 (मीटर है), रुकें 1666.84 वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या 4, तलवार की संख्या 1,
सिस्ट/भूतल की संख्या 1, भवन के ब्लॉक की संख्या 1, प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार 30, सिस्ट
की संख्या 1, फायर लिफ्ट की संख्या राज्य, रैंग की संख्या 1, आपतकालीन राशन सतत (रिफ्यूजी एरिया) की
संख्या राज्य, फायर टावर की संख्या राज्य है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा-निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली
एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुमति के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी
जाती है, जिसका अनुमोदन संबंधित कंसुल्वर/भवन निर्माणकर्ता/भू-स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहरताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :-

- (1) भवन निर्माणकर्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर 3.0 मी0, दक्षिण 3.0 मी0, पूर्व 4.0 मी0, पश्चिम 6.5 मी0) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या 1, चौड़ाई 3.0 मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या 2, चौड़ाई 2.25 (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।
- (2) खुला स्थान एवं पहुँच-

(क) भवन के चारों तरफ सतत रूप से भवन उपरिधि एवं अन्य वस्तुसंबंधी अधिनियम/नियम/विनियमन/स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निरामन दस्तों के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन क्षेत्र एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्टिक टन अग्निरामनक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं लंबाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

- (3) बनावट :-

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपरिधि, 2014 समय-समय पर यथा संशोधित तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग-अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बाँटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केंद्रीय फोर डक्ट का crown के पास थेंडोरोशन का प्रावधान होगा। सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा।

(4) सीढ़ी :-

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्यादी भेंट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र को बरकरार प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवारों की छत आस-पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी को चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं फ्लाज दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवार से हटनी चाहिए।

(च) तलछर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलछर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :- राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अलावे ने निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपकरणों के प्रावधानों के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:-

- (क) होल रोल
- (ख) गेट रईजर-सह-डाउन कमर सिस्टम (01 अरक्ष)
- (ग) फाई हाईड्रेंट सिस्टम
- (घ) दस्तबाजित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम
- (ङ) पूरे भवन में ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम
- (च) स्प्रिंकलर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)
- (छ) भूतल स्टीक टैंक की क्षमता 50000 लीटर
- (ज) ओवर हेड वाटर टैंक 10000 लीटर क्षमता
- (झ) एक पम्प हाउस 2280 एल.पी.एम. इलेक्ट्रिक एवं डीजल, 180 एल.पी.एम. जॉको पम्प, 900 एल.पी.एम. ग्रुटर पम्प
- (ञ) फायर एक्स्टिंग्यूशर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे- बिहार भवन उपविधि, 2014, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित बहुमंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभाग के लिए बांछित अन्य शर्तों का पालन किया जाएगा। कुछ शर्तें निम्न प्रकार है :-

(क) लिफ्ट :-

(i) भवन का लिफ्ट को दोवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताक्षरित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से सिस्टम इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेडिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट शॉफ्ट में कर धुआं निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्मोकलर एवं फायर एलार्म क्रियारशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि निर्दमन कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई० एस० गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि निर्दमन कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(vii) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर स्मिडिंग भस्म के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रोल, छत स्तर पर 900 एल०पी०एम० एम के साथ होगा। आई० एस० 2190/1992 तथा संबंधित विनिर्देशों का आई०एस०आई० मार्केड अग्निरोधक घेरा, फायर भेक दरवाजा, हस्ताक्षरित कॉल अलार्म प्लान्ट, अग्नि सुरक्षा समकीता संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(viii) हवादार भी स्वचालित स्मोकलर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग-अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(ix) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओवर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए।

(x) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत कंयून सील होनी चाहिए।

(xi) भवन का फर्माइमेंटेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुआं उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निफेड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले।

(xii) भवन के अलगवाय दोवार एवं फ्लोर में खुला स्थान - ऐसे सभी प्रकार के छेदों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुआं के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सकें और बनावट का फायर रेटिंग परकुरा रह सके। सभी दोवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान vertical enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे enclosure का दोवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा।

(xiii) मंजिलों के प्रत्येक vertical openings यथावत रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :-

(i) पलायन के समय का प्रयोग करते वक़्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुआं के फैलाव को रोकने के लिए प्रयाप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटे की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकासने के छस्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुआं के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेडिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुआं के उत्पन्न होने से बचने हेतु धुआं निरोधी तानग्रियों का प्रयोग किया जाएगा।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कॉरिडोर) का पैरानीकरण/सोढ़ियों का प्रेशरइजेशन/ दलधर का वेन्टिलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय-समय पर यथा संशोधित के अनुसार करना होगा।

(vi) एयर फिल्टरिंग एवं वेडिलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुआं एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुआं

को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटिव डिवाइस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग-अलग एयर हैडलिंग यूनिट होना चाहिए। फायर हंपर्स को एंजो सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुआँ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) विद्युत अधिष्ठापन- विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आईएस/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंसपेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवश्यक स्थापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी-एनओसी 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का एंजोसो योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाले किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/अग्नी मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात् निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।

(8) इसे औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:-

1) मे 0 वास्तुविद, अमित कुमार

2) अध्यक्ष, नगर निगम,

निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना

16/8/23